कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन का लक्ष्य, जो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, सरकार के वित्तीय प्रबन्धन/स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विभागों के निष्पादन पर राज्य सरकार को समय पर जानकारी प्रदान करना है। विश्लेषण को एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, जिसे 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुन: संशोधित किया गया तथा 2012-13 के बजट आकलनों में राज्य सरकार द्वारा प्रकल्पित लक्ष्यों के साथ सफलताओं की तुलना करने हेतु प्रयास किया गया है।

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा दर्शायी गई है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों से अंतर्विष्ट है।

अध्याय-I वित्त लेखों पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह बजट मार्ग की बजाय किसी अन्य मार्ग के वचनबद्ध व्यय तथा उधारों के स्वरूप के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त वर्णन के अतिरिक्त प्रवृत्तियों की अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा जिस ढंग से आबंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया है को प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है। दुर्विनियोजन/हानि के मामले जो सरकारी विभागों में नियंत्रण की अपर्याप्तता दर्शाते हैं, का भी इस अध्याय में वर्णन किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारशें

राजकोषीय शुद्धिपथ: राज्य का 2011-12 में ₹ 645 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो चालू वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा बन गया। राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2979 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 *प्रतिशत* था जो तीन *प्रतिशत* के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन से अधिक था। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 2276 करोड़ (16 *प्रतिशत*) बढ़ गया तथा राजस्व प्राप्तियां ₹ 1055 करोड़ बढ़ गई, किन्तु कर-भिन्न राजस्व भारी रूप से ₹ 538 करोड़ (28 *प्रतिशत*) कम हो गया।

2012-13 के दौरान राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में उल्लिखित सरकार के कुल बकाया ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात, बजट तथा मध्यवर्ती राजकोषीय योजना विवरणियों के संदर्भ में क्रमश: 44.4 *प्रतिशत,* 40.10 *प्रतिशत* तथा 41.03 *प्रतिशत* के लक्ष्य की प्राप्ति की थी। तथापि, राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में उल्लिखित राजस्व घाटा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणियों में उल्लिखित राजकोषीय घाटे से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

राजकोषीय दायिताएं: विगत वर्ष की तुलना में आठ *प्रतिशत* के विकास के साथ चालू वर्ष के अन्त में राजकोषीय दायिताएं ₹ 30442 करोड़ थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42 *प्रतिशत* थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियों की उपेक्षा करना: 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से निधियों का अंतरण करने की बजाय ₹ 1202 करोड़ की निधियों का सीधे विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरण किया। भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में एक भी अभिकरण नहीं है तथा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित तथा भारत सरकार द्वारा सीधे रूप से निधिक मुख्य स्कीमों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्कीमों पर एक विशिष्ट वर्ष में वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए कोई भी पहले से तैयार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली: भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की गई निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और अद्यतन सूचना का राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा वैधीकरण किया जाना चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: वर्ष 2008-13 के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल 3.18 *प्रतिशत* था, जबकि सरकार ने केन्द्रीय सरकार/वित्तीय संस्थाओं से इसकी उधारी पर 8.28 *प्रतिशत* औसत ब्याज की अदायगी की। सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए। निवेशों में धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार को उपयुक्त पग उठाने पर विचार करना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाओं हेतु कार्य योजना: 31 मार्च 2013 को 12 अपूर्ण योजनाएं थी, जिन्हें ₹115 करोड़ के संचित वास्तविक व्यय से जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण किया जाना था। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सात परियोजनाओं में ₹ 35.01 करोड़ की अधिक लागत आई तथा शेष परियोजनाओं में संशोधित लागत उपलब्ध नहीं थी। सरकार को सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि लोग समय पर परिकल्पित लाभों को प्राप्त कर सकें ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों में परिसम्पत्तियों का अंतरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत सैक्टर सुधार अंतरण स्कीम 2010 अधिसूचित की। जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में विचार किया गया था, सही अर्थों में विखंडन नहीं किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित वितरण कार्यकलापों सहित 13 संचरण लाइनों के अतिरिक्त अभी भी सभी विद्यमान उत्पादन तथा संचरण नेटवर्क का प्रबन्धन/प्रचालन कर रहा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किए गए ₹ 1021.78 करोड़ के निवेश के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 885.59 करोड़ की हानियां संचित की थी।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण: अत्यधिक व्यय करने तथा बिना प्रावधान के व्यय करने, बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों का आहरण करने तथा निधियों का अनावश्यक आहरण करने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाएं सुदृढ़ नहीं रही। कई मामलों में प्रत्याशित बचतों (बजट के उपयोग में कमी) को या तो अभ्यर्पित नहीं किया गया था अथवा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया, जिससे इन निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं रही। कई विभागों द्वारा आवश्यकता से अधिक निधियों का आहरण करने, उचित स्पष्टीकरण के बिना पुनर्विनियोजन करने तथा निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई। सार आकस्मिक बिलों को दीर्घकाल से समायोजित नहीं किया गया।

वित्तीय रिपोर्टिंग: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं से प्राप्त ऋणों तथा अनुदानों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया तथा चोरी, हानि एवं दुर्विनियोजन के कई मामले थे, जिनमें विभागीय तथा अपराधिक छानबीन अपेक्षित थी। अगस्त 2013 तक 10 स्वायत निकायों ने वर्ष 2012-13 के अपने लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे।